शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-1, Year-1,

15 Jan-2010

शोध उपाधि के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश

डॉ. अरविन्द कुमार सिंह

अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान, छ.शा.जी. म. विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

शोध उपाधि के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश

- प्रस्तुति : डॉ. अरविन्द कुमार सिंह

उच्च शिक्षा मे पी0एच0डी0 को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए नये सिरे से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिनियम 1956 की धारा 26 की उप धारा (एक) के अनुच्छेद 'टू' एवं 'जी' में प्रदत्त अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो विनियम बनाये हैं, वे उच्च शिक्षा जगत में काफी चर्चा में हैं। पी0एच0डी0 के प्रति समाज में जो नजरिया है, उसे देखते हुए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित एम0फिल0/ पी0एच0डी0 उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 से पी0एच0डी0 अपने पूर्व सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करेगी।

पी0एच0डी0 शोध पंजीकरण के लिए यू0जी0सी0 ने प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभी तक अधिकतर विश्वविद्यालयों में इस तरह की कोई प्रवेश प्रक्रिया न होकर शिक्षक एवं छात्रों की आपसी समझ व सहमति ही छात्र के पंजीकरण के मुख्य आधार होते थे। स्पष्ट है कि वर्षो से चली आ रही इस व्यवस्था में शोध कराने वाले शिक्षकों की अपनी मनमर्जी ही चलती रही है। नये नियम से अब इस पर अंकुश लग जायेगा। पहले जहाँ पंजीकरण से पूर्व शिक्षक अपने परिचित शोध छात्र के प्रति निश्चिंत हो जाता रहा है, वही अब वह एकदम नये व बिल्कुल अपरिचित छात्र को शोध छात्र के रूप में पाकर उलझन भी महसूस कर सकता है।

पी0एच0डी0 पंजीकरण में यूजीसी के नये नियमों में निम्न मुख्य पक्षों की चर्चा की गयी है -

पी०एच०डी० परीक्षक की योग्यता

नये नियम के अनुसार पी0एच0डी0 निदेशक का कार्य करने के लिए एक निश्चित योग्यता रखना जरूरी है। इसका निर्धारण प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने ढंग से करेगा। इस संबंध में प्रारूप या निर्देश नही दिया गया है। यह विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है कि वह कितना सरल या उच्च मापदंड अपनाता है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयो में पी0एच0डी0 निदेशक के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मापदंड बनाये गये हैं।

प्रवेश प्रक्रिया

पी0एच0डी0 पंजीकरण के लिए अब प्रवेश प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इसमें सभी इच्छुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे। इसके बारे में सभी प्रकार की सूचनाओं को उचित समय पर विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित करना आवश्यक है। अभी तक अधिकतर विश्वविद्यालय इस संबंध में सीमित स्तर पर ही जानकारी देते रहे हैं और कुछ विश्वविद्यालयों में पी0एच0डी0 पंजीकरण के बारे में तो कुछ भी नही पता चल पाता था।

इस प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही अगले चरण में प्रवेश मिलेगा। किन्तु वे छात्र जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व सी0एस0आई0आर0 द्वारा संचालित होने वाली लेक्चरर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए है उन्हे प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

सीटों की उपलब्धता

विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में पी0एच0डी0 के पंजीकरण के लिए कितनी सीटें उपलब्ध है, इस बात की जानकारी प्राय: सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं की जाती रही है। अब नये नियम के अनुसार एम0फिल0 एवं पी0एच0डी0 के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या (जिसमें विषयवार पी0एच0डी0 हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या भी है) का निर्धारण काफी पहले कर उसे प्रकाशित किया जायेगा। कुछ विश्वविद्यालयों ने इसके आलोक में जो नये पी0एच0डी0 शोध पंजीकरण अधिनियम बनाये है, उसमें पूर्व सूचना देने के संबंध में भिन्न-भिन्न अवधि की बात कही गयी है।

आरक्षण नियम

वर्तमान मे विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण नियम का तो काफी हद तक

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-1, Year-1,

15 Jan-2010

शोध उपाधि के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश

डॉ. अरविन्द कुमार सिंह

अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान, छ.शा.जी. म. विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

पालन किया जाता रहा है, किन्तु पी0एच0डी0 डिग्री हेतु शोध पंजीकरण में इस प्रकार के आरक्षण के नियम न होने के कारण इस पहलू पर उनकी तरफ से कोई ध्यान नही दिया गया। इसके लिए आरक्षित वर्गो द्वारा लगातर माँग भी की जाती रही हैं। नये नियम में यूजीसी ने इस पक्ष पर ध्यान दिया है। अब एम फिल एवं पी0एच0डी0 में उपलब्ध सीटों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये आरक्षण नियम का पालन करना होगा।

पी0एच0डी0 के लिए उपलब्ध सीटें अधिक संख्या में न होने से आरक्षण को वैज्ञानिक ढंग से लागू करने में दिक्कते आ सकती है। किन्तु पी0एच0डी0 निदेशक की सम्पूर्ण सीट को निर्धारित करके उस पर आरक्षण का बँटवारा या निर्धारण एक बार हो जाने के बाद आवश्यक व्यवस्था बनाकर इसे लागू किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट नियम न बनने पर छात्र से लेकर शोध निरीक्षक व विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष दिक्कते आ सकती हैं। फिलहाल अभी तो कई विश्वविद्यालयों जो नये नियम बनाये है, उसमें सिर्फ आरक्षण नियम के पालन करने की बात भर कही है। इसे कैसे किया जायेगा ,इसकी कोई चर्चा नहीं की गयी है।

अनिवार्य हुआ प्रथम सेमेस्टर

एक बार प्रवेश पाने के पश्चात शोधार्थी को अनिवार्य रूप से एक सेमेस्टर पाठ्यक्रम कार्य करना होगा। यू0जी0सी0 का मानना है कि अधिकतर शोधार्थियों को अपने शोध कार्य पद्वति की ही कोई जानकारी एवं समझ नही होती है। इस कारण उनके शोध कार्य पूर्ण करने में न केवल विलम्ब होता है, वरन् इसकी गुणवत्ता भी काफी प्रभावित होती है। इससे एक सेमेस्टर के दौरान शोध छात्र शोध पद्वति, कम्प्यूटर के उपयोग आदि से भली भाँति परिचित हो सकेंगे। सेमेस्टर पाठ्यक्रम के दौरान छात्र शोध विषय पर पूर्व में किये गये कार्यों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए शोध प्रकाशनों को देखना एवं समीक्षा करने जैसे विविध कार्य शामिल हैं। इसके बारे में प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थान निश्चित मानक तैयार करेंगे, जिसे पूरा करने के बाद ही शोध छात्र शोध ग्रंथ लिखने की अनुमति पा सकेंगे।

प्रथम छः माह के लिए जो सेमेस्टर पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके प्रति कुछ लोगों का यह विचार बन सकता है कि यह शोध छात्रों पर कुछ ज्यादा ही अंकुश लगा रहा है। किन्तु इस अवधि का सही उपयोग होने पर शोध छात्रों को काफी लाभ मिल सकता है। सच तो यह है कि उन्हे एक तरफ जहाँ शोध कार्य प्रक्रिया की जानकारी मिल जायेगी, वहीं उसे अपने कार्य करने की दिशा की भी समझ बन जायेगी। शोध कार्य प्रणाली की जानकारी एवं स्वयं अपने शोध विषय व उद्देश्य आदि की स्पष्टता न होने से शोध छात्रों को अपने शोध कार्य को पूर्ण करने में बड़ी बाधा होती है और उनका समय बर्बाद होता है ।

प्रथम सेमेस्टर पूरा करने के बाद ही छात्र आगे का शोध कार्य आरम्भ करेगा। विश्वविद्यालय इसे पूरा करने के लिये एक निश्चित समयावधि तय करेगा। इस समय यह समयावधि अधिकतर जगहों पर डेढ़ से लेकर दो साल तक की हैं। इसके बाद ही वह अपने शोध ग्रंथ के ड्राफ्ट को प्रस्तुत कर सकता हैं।

मौखिक परीक्षा, पूर्व प्रस्तुतीकरण के साथ शोध-पत्र प्रकाशन

शोध छात्र को अन्तिम रूप से शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने से पहले एक पूर्व प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। सम्बन्धित विभागों में पूर्व प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम खुले तौर पर आयोजित होगा जिसमे सभी शिक्षक छात्र भाग ले सकेंगे। इसमे छात्र अपने शोध कार्य के बारे में पूरी जानकारी देगा। लोगों की टिप्पणी व सुझाव, आवश्यक बिन्दु लेकर वह अपना शोध ग्रंथ तैयार करेगा। प्रक्रिया अधिकतर विश्वविद्यालयों में पहले से ही मौजूद हैं। यू0जी0सी0 के नये मानक में यह भी शर्त जोड़ दी गयी है कि अन्तिम रूप से शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने से पूर्व शोधार्थी का एक शोध पत्र प्रकाशित होना चाहिए। इसका प्रमाण देने पर ही इसे माना जायेगा। यह कार्य शोध छात्रों के लिये उलझन भरा हो सकता है, किन्तु उनके लिए यह काफी उपयोगी होगा।

शोध ग्रंथ का मूल्यांकन पुराने ढर्रे पर ही

नये नियम के अनुसार शोधार्थियों के शोध ग्रंथों का मूल्यांकन कम से कम दो परीक्षकों द्वारा कराया जाना जरूरी है। इसमें से एक परीक्षक राज्य के बाहर का होना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय सक्षम है तो वह एक परीक्षक देश के बाहर का भी रख सकता है। वर्तमान में भी लगभग यही व्यवस्था है। कुछ विश्वविद्यालयों में तीन परीक्षक भी होते है।

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-1, Year-1,

15 Jan-2010

शोध उपाधि के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश

डॉ. अरविन्द कुमार सिंह

अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान, छ.शा.जी. म. विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

यदि शोधग्रंथ के संबंध में सन्तोषजनक रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके बाद शोधकर्ता को शोध के सन्दर्भ में एक मौखिक परीक्षा से गुजरना होगा जो कि विभाग में खुले तौर पर होगा। इस तरह से उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रियाएँ सफलतापूर्वक हो जाने के बाद विश्वविद्यालय शोधार्थी को पी0एच0डी0 देने की घोषणा करेगा। इसके तीस दिन के भीतर शोध ग्रंथ की एक सॉफ्ट कापी यू0जी0सी0 को भेजनी होगा जिससे कि उसे अन्य विश्वविद्यालय व संस्थानों को उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह अब किसी भी विश्वविद्यालय में किये गये शोध कार्य की जानकारी सर्वसुलभ हो जायेगी। यू0जी0सी0 की यह एक नयी पहल हैं । इसके कई सकारात्मक पक्ष तो है ही, किन्तु इसके दुरुपयोग होने की भी आशंका हैं जिसके बारे में अभी से सावधान होने की आवश्यकता हैं।

शोध ग्रंथ के मूल्यांकन की अवधि के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश नही दिया गया है। यह पक्ष शोध छात्रों के हितों के खिलाफ जाता है। प्राय: यह देखा गया है कि शोध ग्रंथ जमा करने के बाद उसके मूल्यांकन में इतना समय लग जाता है कि शोध छात्र को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में तो यह विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है कि वह शोध ग्रंथ जमा करने के पश्चात उसके मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समयावधि तय करे या फिर सब कुछ नियति पर छोड़ दे। यदि शोध कार्य के सम्पूर्ण प्रक्रिया को उपयोगी एवं सुखद के साथ सम्पन्न करना है तो यह आवश्यक है कि शोध ग्रंथ के मूल्यांकन की समयावधि को सुनिश्चित किया जाये। वैसे कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा यू0जी0सी0 के नये मानक पर तैयार किये गये शोध नियमावली में शोध ग्रंथ के मूल्यांकन की समयावधि भी तय कर दी गयी है। उदाहरण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने व्यवस्था दी है पी0एच0डी0 के मुल्यांकनकर्ता को साठ दिनों के भीतर शोध ग्रंथ के मूल्यांकन रिपोर्ट को भेज देना होगा।

तरह मूल्यांकन के संबंध में सन्तोषजनक रिपोर्ट का आशय भी पूरी तरह से स्पष्ट नही हैं। अत: इसे भी हर विश्वविद्यालय अपने ढंग से परिभाषित करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पी0एच0डी0 के लिए पंजीकरण हेतु नये दिशा-निर्देश जारी करके सराहनीय कार्य किया है। इससे ऐसे सुस्त, ढीले-ढाले तथा मृतप्राय पड़े अधिकतर विभागों के शोध क्रिया-कलापो में नई जान पैदा होने एवं उसमें गुणात्मक सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है। अभी तक तो यह भी देखने में आया है कि बहुत से विभागों में दो या उससे भी अधिक सालों तक पंजीकरण ही नहीं होते रहे है। एक ही विश्वविद्यालय में कुछ विभाग शोध कार्य में आगे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ विभाग काफी पीछे रहतें हैं।

ध्यान देने की जरूरत है कि यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये पी0एच0डी0 सम्बन्धी नये दिशा निर्देश को देखते हुए विश्वविद्यालय जो भी नये नियम तैयार करे, वह शोध व शिक्षा में सुधार के साथ साथ शोध छात्रों की उनके कार्य में सहायता करे तथा इससे उनकी अभिरूचि शोध सम्बन्धी कार्यों में जगे। कहीं ऐसा न हो कि एक नया छात्र शोध कार्य करने की जगह सिर्फ पंजीकरण एवं अन्य प्रक्रियाओं में उलझकर परेशान हो उठे।

यू जी सी द्वारा प्रकाशित शोध विनियम के प्रमुख बिन्दु

-दूरस्थ माध्यम से पी0एच0डी0 एवं एमफिल कार्यक्रम पर रोक होगी। हालाँकि बाद में कुछ शर्तों के साथ इस रोक को हटाने पर सहमति की बात कही गयी है।

-शोध निरीक्षकों के लिए पात्रता मापदण्ड का निर्धारण।

-विश्वविद्यालयों आदि के वेब साइट पर विषयवार शोध के लिए उपलब्ध सीटों की जानकारी कराना।

-पी0एच0डी पंजीकरण हेतु प्रवेश परीक्षा।

-नेट, स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पी0एच0डी0 पंजीकरण हेतु प्रवेश परीक्षा से छूट।

-शोध पंजीकरण के लिए उपलब्ध सीटों में नियमानुसार आरक्षण देना।

-छात्रों को कम से कम एक सेमेस्टर पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम करना होगा। यह पाठ्यक्रम पी0एच0डी0 तैयारी से जुड़ा हागा।

-सेमेस्टर पाठ्यक्रम सन्तोषजनक होने पर ही शोध कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति।

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-1, Year-1,

15 Jan-2010

शोध उपाधि के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश

डॉ. अरविन्द कुमार सिंह

अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान, छ.शा.जी. म. विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

-शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने से पूर्व एक छात्र द्वारा एक शोध पत्र का प्रकाशन जरूरी।

-शोध का मूल्यांकन कम से कम दो विशेषज्ञों द्वारा कराया जायेगा इसमें से एक विशेषज्ञ राज्य से बाहर का होगा।

-पी0एच0डी0 डिग्री देने की घोषणा के तीस दिनों के भीतर पी0एच0डी0 शोध ग्रन्थ की सॉफ्ट कापी यू0जी0सी0 को प्रेषित करना होगा।

-यह शोध कार्य सर्वसुलभ होगा।

यूजीसी ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया

यूजीसी द्वारा पी0एच0डी0 शोध पंजीकरण के सम्बन्ध में जारी किये गये विस्तृत दिशा निर्देश के बावजूद ऐसे कई पहलु हैं जिनके बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा नही की गयी है। इन्हे विश्वविद्यालयों पर ही छोड़ दिया गया हैं। अत: इनके बारे में विश्वविद्यालयों को स्वयं ही ध्यान देने एवं नियम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इनमें से कुछ पक्ष तो ऐसे भी है जिनके बारे में नियम न होने पर उनकी व्याख्या अपने ढंग से होती रहती है

निम्नलिखित कुछ ऐसे ही पहलू है-

1. शोध कार्य के दौरान शोध छात्र के लिए नौकरी से लेकर अन्य कार्य करने की कहाँ तक छूट है?
2. शोध निदेशक के अतिरिक्त संयुक्त, सहायक या एसोसिएट निदेशक के प्रावधान होगा कि नही?
3. शोध कार्य के दौरान निदेशक के कहीं और चले जाने या इस प्रकार की अन्य स्थितियाँ पैदा होने पर क्या होगा?
4. पी0एच0डी0 कितनी न्यूनतम अवधि में पूर्ण की जानी चाहिए।
5. शोध कार्य पूर्ण होने के पश्चात शोध ग्रंथ के मूल्यांकन के दौरान नकारात्मक रिपोर्ट आने पर शोध निरीक्षक की जिम्मेदारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।
6. शोध ग्रंथ के मूल्यांकन अवधि के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है।
7. यदि कोई शिक्षक शोध कार्य के लिए इच्छुक नहीं है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है?
8. शोध ग्रंथ जमा करने के कितने दिनो बाद उसकी रिपोर्ट निश्चित रूप से मिल जायेगी?

जिन बिन्दुओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीधे व स्पष्ट रूप से कोई दिशा निर्देश नही दिया है, उसके बारे में प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने ढंग से नियम बनाने के लिए स्वतन्त्र है, किन्तु समस्या तब होती है, जब उसके बारे में कोई स्पष्ट नियमावली नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शोध छात्र को विभिन्न स्तरों पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे अपने स्तर से सब कुछ अपने पक्ष में कराने के लिए प्रयास करता है। दूसरी तरफ, कार्यालयों के बाबू व अधिकारी उन्हे अपने ढंग से व्याख्यायित करके परेशान करते हैं।

नये नियमों को लेकर विश्वविद्यालयों में सक्रियता बढ़ी

पी0एच0डी0 हेतु शोध पंजीकरण के संबंध में यूजीसी द्वारा जुलाई 2009 में जारी किये गये एम0फिल/पी0एच0डी0 उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के आलोक में विभिन्न विश्वविद्यालय सक्रिय हो उठे हैं। उसके पालन के संबंध में नियम बनने शुरू हो गये हैं। बहुत जगहों पर तो यू0जी0सी0 के नये विनियम के आधार पर छात्रों के शोध पंजीकरण हेतु नियमावली तैयार करके परीक्षा भी सम्पन्न करायी गयी है।

यू0जी0सी0 के नये नियम को ध्यान में रखकर कई विश्वविद्यालयों ने शोध पंजीकरण की प्रक्रिया को नये शोध नियमावली तैयार होने तक रोक दिया है। वहाँ पिछले एक वर्ष से कोई पंजीकरण नही हुआ है।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पहले जहाँ वर्ष में दो बार बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का पी0एच0डी0 के लिए पंजीयन किया जाता था, वहीं सत्र 2009-10 के दौरान किसी भी छात्र का पंजीयन नहीं हुआ।

इसी बीच विश्वविद्यालय के एकेडेमिक काउंसिल ने यू0जी0सी0 के नये शोध मानक को ध्यान में रखकर शोध पंजीकरण नियमावली स्वीकार कर ली हैं। इसमें शोध करने के इच्छुक छात्रों के चयन के लिए प्रवेश

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-1, Year-1,

15 Jan-2010

शोध उपाधि के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश

डॉ. अरविन्द कुमार सिंह

अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान, छ.शा.जी. म. विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

प्रक्रिया अपनाये जाने एवं विज्ञापन देकर प्रवेश सम्बन्धी कार्य किये जाने की बात कही गयी है। स्नातकोत्तर कक्षा में 55 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते है। वे छात्र जो अनुसूचित जाति जनजाति अथवा विकलांग वर्ग के है उनके लिए अंक में 5 प्रतिशत की छूट है।

कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 के संबंध में तैयार किये गये नये आर्डिनेन्स में शोध हेतु उपलब्ध सीट में नियमानुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिया जायेगा। प्रतिवर्ष विषयवार शोध के लिए उपलब्ध सीटों की उपलब्ध संख्या को भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दी जायेगी। यू0जी0सी0 के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए शोध निदेशक के लिए भी मानक तैयार किये गये हैं। हालांकि इस मानक में कोई बहुत कठिन शर्त नहीं है।

आर्डिनेन्स में विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभागों के अतिरिक्त इससे बड़ी संख्या में महाविद्यालय जुड़े होने के कारण इन जगहों पर शोध केन्द्र खोलने के सन्दर्भ में भी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त जोड़ी गयी है। इसमें प्रयोगशाला, इन्टरनेट के साथ कम्प्यूटर, पुस्तकालय शोध जर्नल जैसे सामग्री मुख्य हैं।

कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के पी0एच0डी0 सम्बन्धी नये दिशानिर्देश के आलोक में बनाये गये नियमावली में पी0एच0डी0 पंजीकरण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए विस्तृत नियमावली जारी की गयी है। इसमें शोध छात्र द्वारा नये दिशा निर्देश के अनुसार पी0एच0डी0 करने की बात कही गयी थी।

इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त दो वर्ष के प्रोवेशनरी अवधि में कार्य पूरा न करने पर नामांकन स्वत: रद्द हो जाने, 'अंशकालिक' व अवकाश प्राप्त शिक्षकों द्वारा शोध कार्य कराने हेतु निदेशक बनने, शोध निदेशक के साथ साथ संयुक्त निदेशक व एसोसिएट निदेशक बनने की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह एसोसिएट निदेशक के रूप में दूसरे विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी रखने की बात कही गयी है।

पूना विश्वविद्यालय द्वारा के नये पी0एच0डी0 शोध नियमावली में अन्य बातों के अतिरिक्त वर्ष में दो बार पी0एच0डी0 पंजीकरण के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, किसी भी फैकल्टी से ग्रेजुएट किये व्यक्ति की खास तकनीकी उपलब्धि, कार्य व अनुभव को देखते हुए इंजीनियरिंग व फार्मेसी जैसे संस्थानो में पी0एच0डी0 हेतु शोध कार्य करने, शोध ग्रंथ मूल्यांकन कार्य का साठ दिनों के भीतर जमा कर देने की बात कही गयी है।

इसी तरह से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, महात्मागाँधी काशी विद्यापीठ, बनारस, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, लखनऊ सहित बड़ी संख्या में ऐसे विश्वविद्यालय है, जहाँ यू0जी0सी0 के नये मानक के आलोक में नये नियम बनाने की तैयारी की जा रही है।

यद्यपि यू0जी0सी0 ने प्रवेश सम्बन्धी नये नियम बनाये तो हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय है, जहाँ पी0एच0डी0 पंजीकरण के लिए पहले से ही प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती रही है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कई वर्ष पहले से पी0एच0डी0 पंजीकरण के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू कर दी गयी थी। महात्मागाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट पी0एच0डी0 शोध कार्य के पंजीकरण हेतु बनाये गये नियमावली में तो प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षा देने का प्रावधान पहले से ही किया गया है। अब यह समय ही बतायेगा कि पी0एच0डी0 को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यू0जी0सी0 की यह पहल कितनी सफल हो पा रही है।